an>

Title: Need to cover all crops under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana.

श्री गणेश सिंह (सतना) ः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो चालू वर्ष के खरीफ मौसम में लागू की गई थी, जिसमें देश भर के किसानों की फसलों का बीमा किया गया था। मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में भयंकर बारिश के कारण सोयाबीन, उड़द की फसलों को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन बीमा कम्पनियों ने सर्वे नहीं कराया, न ही किसी को बीमा दिया। जबकि देश में कितने किसानों ने फसलों का बीमा कराया था। राज्यवार जानकारी क्या है। बीमा कम्पनियों ने एक गांव में मात्र एक फसल का बीमा करवाया, उसमें जो ऋणी किसान हैं, उनका बीमा तो अपने आप हो गया, किंतु गैर ऋणी किसानों ने जो बीमा कराना चाहते थे, उसमें भी सीमाबंदी कर दी गई। क्या फसल बीमा योजना में ऐसे ही प्रावधान किये गये हैं। देश के किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रांतिकारी कदम माना है। यदि इसका लाभ किसानों को नहीं मिला तो किसान निराश होंगे। यदि इसका लाभ किसानों को नहीं मिला तो किसान निराश होंगे। राज्य सरकारों के कृषि मंत्रालय एवं स्थानीय सांसदों के बीच एक समन्वय समिति के गठन किये जाने की आवश्यकता है तभी प्रधानमंत्री जी की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ किसानों को मिल पायेगा। जब तक सरकार इस पर विचार करे, चूंकि पहले रबी की बुवाई शुरू हो गई है। सभी बीमा कम्पनियों को निर्देश दिया जाये कि हर किसान की सभी फसलों का बीमा करे तथा इसमें बोनी के स्कबे की सीमाबंदी न करें, यदि यह हो सका तो किसानों के हित में एक बड़ा कारगर कदम होगा।